ग्राम पंचायत मेहदीगंज

न्याय पंचायत कचनार वि0ख0 आराजी लाइन्स वाराणसी

उषा
ग्राम प्रधान

निवास
ग्राम– मेहदीगंज,पोस्ट मेंहदीगंज
जनपद – वाराणसी

पत्रांक.......................   दिनांक 8.5.13

सेवा में

सदस्य सचिव,
केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण
पश्चिम ब्लॉक–11 विंग–3, भूजल सेक्टर–1
आर0के0 पुरम, नई दिल्ली–110066

विषयः– कोका कोला संयन्त्र मेंहदीगंज द्वारा भूजल निकालने के लिए मॉगे गये अनापति प्रमाण पत्र नही देने के संदर्भ में।

महोदय,

आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते है कि वाराणसी उ0प्र0 के मेहदीगंज पंचायत में स्थित हिन्दुस्तान कोका कोला ब्रेवरेज प्रा0 लिमिटेड संयन्त्र द्वारा रोजाना लाखो लीटर भूजल का दोहन किया जा रहा है। जिसके कारण आसपास के गॉवों में भयंकर पानी का संकट पैदा हो गया है, क्षेत्र के अधिकांश हैण्डपम्प ,कुएं, नलकूप, तालाब आदि सूख गये है, पीने का पानी व खेती का भयंकर संकट पैदा हो गया है, परिणाम स्वरूप जल संसाधन मंत्रालय द्वारा आराजी लाइन ब्लाक को क्रिटिकल ब्लाक (सूखाग्रस्त क्षेत्र) घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं प्रमुख सचिव उ0प्र0द्वारा क्षेत्र में जल संकट को देखते हुए 15.05.2012 को एक आदेश जारी करके आराजी लाइन ब्लॉक में नये सरकारी हैण्डपम्प व नलकूप लगाने पर पाबंदी लगा दिया है।

दुसरी तरफ कोका कोला कम्पनी मेहदीगंज भूजल का और दोहन करके मुनाफा कमाने में लगी हुई है। इसी कड़ी में उक्त कम्पनी में दिनांक 03.05.2012 को केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में लिये जा रहे भूजल (50,000m^3/ Year) से 5 गुना ज्यादा (250,000m^3/Year) लगभग **1000 फीट** की गहराई से भूजल निकालने की अनुमति मांग रही है। ऐसी दशा में और पानी निकालने की अनुमति मिलने पर पुरे इलाके में भयंकर पानी का संकट पैदा हो जायेगा।

अतः कम्पनी द्वारा भूजल निकालने के लिए मांगे गये अनापत्ति प्रमाण पत्र के संदर्भ में हम निम्न मांग करते है.

1 कोका कोला संयन्त्र मेहदीगंज द्वारा भूजल निकालने के लिए मांगे गये अनापत्ति प्रमाण पत्र को किसी भी दशा में न दिया जाय
2 क्षेत्र में भयंकर पानी के संकट को देखते हुए वर्तमान में कम्पनी द्वारा किये जा रहे भूजल शोषण पर तत्काल रोक लगायी जाय।

हस्ताक्षर
उषा

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रतिलिपिः–

1. जल संसाधन मंत्रालय , चतुर्थतल श्रमशक्ति भवन रफी मार्ग नई दिल्ली।
2. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकअप भवन, तृतीय तल बी ब्लाक विभूतिखण्ड गोमती नगर लखनऊ।
3. केन्दीय भूजल बोर्ड जाम नगर हाउस मानसिंह रोड, नई दिल्ली।
4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी0जी0ओ0 काम्प्लैक्स लोधी रोड पर्यावरण भवन नई दिल्ली 110003
5. माननीय मंत्री , केन्द्रीय ग्रामविकास मंत्रालय , ग्रामीण विकास विभाग , कृषि भवन, नई दिल्ली 110001
6. माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, शास्त्री भवन, उ0प्र0।
7. जिलाधिकारी , जनपद वाराणसी, उ0प्र0।

ग्राम पंचायत भिखारीपुर

न्याय पंचायत कचनार वि0ख0 आराजी लाइन्स वाराणसी

दूधनाथ यादव
ग्राम प्रधान

निवास
ग्राम– भिखारीपुर ,पोस्ट राजातालाब
जनपद – वाराणसी

पत्रांक......................

दिनांक 8-5-12

सेवा में

सदस्य सचिव,
केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण
पश्चिम ब्लॉक–11 विंग–3, भूजल सेक्टर–1
आर0के0 पुरम, नई दिल्ली–110066

विषयः– कोका कोला संयन्त्र मेंहदीगंज द्वारा भूजल निकालने के लिए माँगे गये अनापति प्रमाण पत्र नही देने के संदर्भ में।

महोदय,

आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते है कि वाराणसी उ0प्र0 के मेहदीगंज पंचायत में स्थित हिन्दुस्तान कोका कोला ब्रेवरेज प्रा0 लिमिटेड संयन्त्र द्वारा रोजाना लाखो लीटर भूजल का दोहन किया जा रहा है। जिसके कारण आसपास के गाँवों में भयंकर पानी का संकट पैदा हो गया है, क्षेत्र के अधिकांश हैण्डपम्प ,कुएं, नलकूप, तालाब आदि सूख गये है, पीने का पानी व खेती का भयंकर संकट पैदा हो गया है, परिणाम स्वरूप जल संसाधन मंत्रालय द्वारा आराजी लाइन ब्लाक को क्रिटिकल ब्लाक (सूखाग्रस्त क्षेत्र) घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं प्रमुख सचिव उ0प्र0द्वारा क्षेत्र में जल संकट को देखते हुए 15.05.2012 को एक आदेश जारी करके आराजी लाइन ब्लॉक में नये सरकारी हैण्डपम्प व नलकूप लगाने पर पाबंदी लगा दिया है।

दुसरी तरफ कोका कोला कम्पनी मेहदीगंज भूजल का और दोहन करके मुनाफा कमाने में लगी हुई है। इसी कड़ी में उक्त कम्पनी में दिनांक 03.05.2012 को केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में लिये जा रहे भूजल (50,000m^3/ Year) से 5 गुना ज्यादा (250,000m^3/Year) लगभग **1000 फीट** की गहराई से भूजल निकालने की अनुमति मांग रही है। ऐसी दशा में और पानी निकालने की अनुमति मिलने पर पुरे इलाके में भयंकर पानी का संकट पैदा हो जायेगा।

अतः कम्पनी द्वारा भूजल निकालने के लिए मांगे गये अनापत्ति प्रमाण पत्र के संदर्भ में हम निम्न मांग करते है.

1 कोका कोला संयन्त्र मेहदीगंज द्वारा भूजल निकालने के लिए मांगे गये अनापत्ति प्रमाण पत्र को किसी भी दशा में न दिया जाय

2 क्षेत्र में भयंकर पानी के संकट को देखते हुए वर्तमान में कम्पनी द्वारा किये जा रहे भूजल शोषण पर तत्काल रोक लगायी जाय।

हस्ताक्षर

प्रधान
दूधनाथ

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रतिलिपिः–

1. जल संसाधन मंत्रालय , चतुर्थतल श्रमशक्ति भवन रफी मार्ग नई दिल्ली।
2. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकअप भवन, तृतीय तल बी ब्लाक विभूतिखण्ड गोमती नगर लखनऊ।
3. केन्दीय भूजल बोर्ड जाम नगर हाउस मानसिंह रोड, नई दिल्ली।
4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी0जी0ओ0 काम्प्लैक्स लोधी रोड पर्यावरण भवन नई दिल्ली 110003
5. माननीय मंत्री , केन्द्रीय ग्रामविकास मंत्रालय , ग्रामीण विकास विभाग , कृषि भवन, नई दिल्ली 110001
6. माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, शास्त्री भवन, उ0प्र0।
7. जिलाधिकारी , जनपद वाराणसी, उ0प्र0।

ॐ

प्रधान संघ अध्यक्ष

रामप्रकाश सिंह पटेल
वी.खण्ड आराजी लाइन्स वाराणसी

ग्राम व पोस्ट- बभनियाँव
जिला-वाराणसी
मो. 9838632571

ग्राम पंचायत- बभनियाँव
न्यायपंचायत- भवानीपुर
जिला-वाराणसी

पत्रांक..............

दिनांक. 8..5..13...

सेवा में

सदस्य सचिव,
केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण
पश्चिम ब्लॉक–11 विंग–3, भूजल सेक्टर–1
आर0के0 पुरम, नई दिल्ली–110066

विषयः– कोका कोला संयन्त्र मेंहदीगंज द्वारा भूजल निकालने के लिए मॉगे गये अनापति प्रमाण पत्र नही देने के संदर्भ में।

महोदय,

आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते है कि वाराणसी उ0प्र0 के मेहदीगंज पंचायत में स्थित हिन्दुस्तान कोका कोला ब्रेवरेज प्रा0 लिमिटेड संयन्त्र द्वारा रोजाना लाखो लीटर भूजल का दोहन किया जा रहा है। जिसके कारण आसपास के गॉवों में भयंकर पानी का संकट पैदा हो गया है, क्षेत्र के अधिकांश हैण्डपम्प ,कुएं, नलकूप, तालाब आदि सूख गये है, पीने का पानी व खेती का भयंकर संकट पैदा हो गया है, परिणाम स्वरूप जल संसाधन मंत्रालय द्वारा आराजी लाइन ब्लाक को क्रिटिकल ब्लाक (सूखाग्रस्त क्षेत्र) घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं प्रमुख सचिव उ0प्र0द्वारा क्षेत्र में जल संकट को देखते हुए 15. 05.2012 को एक आदेश जारी करके आराजी लाइन ब्लॉक में नये सरकारी हैण्डपम्प व नलकूप लगाने पर पाबंदी लगा दिया है।

दुसरी तरफ कोका कोला कम्पनी मेहदीगंज भूजल का और दोहन करके मुनाफा कमाने में लगी हुई है। इसी कड़ी में उक्त कम्पनी में दिनांक 03.05.2012 को केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में लिये जा रहे भूजल (50,000m^3/ Year) से 5 गुना ज्यादा (250,000m^3/Year) लगभग 1000 फीट की गहराई से भूजल निकालने की अनुमति मांग रही है। ऐसी दशा में और पानी निकालने की अनुमति मिलने पर पुरे इलाके में भयंकर पानी का संकट पैदा हो जायेगा। अतः कम्पनी द्वारा भूजल निकालने के लिए मांगे गये अनापत्ति प्रमाण पत्र के संदर्भ में हम निम्न मांग करते है.

1. कोका कोला संयन्त्र मेहदीगंज द्वारा भूजल निकालने के लिए मांगे गये अनापत्ति प्रमाण पत्र को किसी भी दशा में न दिया जाय
2. क्षेत्र में भयंकर पानी के संकट को देखते हुए वर्तमान में कम्पनी द्वारा किये जा रहे भूजल शोषण पर तत्काल रोक लगायी जाय।

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रतिलिपिः–

1.जल संसाधन मंत्रालय , चतुर्थतल श्रमशक्ति भवन रफी मार्ग नई दिल्ली।
2.सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकअप भवन, तृतीय तल बी ब्लाक विभूतिखण्ड गोमती नगर लखनऊ।
3.केन्द्रीय भूजल बोर्ड जाम नगर हाउस मानसिंह रोड, नई दिल्ली।
4.पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी0जी0ओ0 काम्प्लैक्स लोधी रोड पर्यावरण भवन नई दिल्ली 110003
5.माननीय मंत्री , केन्द्रीय ग्रामविकास मंत्रालय , ग्रामीण विकास विभाग , कृषि भवन, नई दिल्ली 110001
6.माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, शास्त्री भवन, उ0प्र0।
7.जिलाधिकारी , जनपद वाराणसी, उ0प्र0।

हस्ताक्षर
[signature]
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत- बभनियाँव
वि.ख. आ.ला. वाराणसी

ग्राम पंचायत कुण्डरियॉ

न्याय पंचायत बेनीपुर वि0ख0 आराजी लाइन्स वाराणसी

संतोष कुमार गिरि
ग्राम प्रधान

निवास
ग्राम– कुण्डरियॉ,पोस्ट बेनीपुर
जनपद – वाराणसी

पत्रांक.......................

दिनांक 8.4.13

सेवा में

सदस्य सचिव,
केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण
पश्चिम ब्लॉक–11 विंग–3, भूजल सेक्टर–1
आर0के0 पुरम, नई दिल्ली–110066

विषयः– कोका कोला संयन्त्र मेंहदीगंज द्वारा भूजल निकालने के लिए मॉगे गये अनापति प्रमाण पत्र नही देने के संदर्भ में।

महोदय,

आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते है कि वाराणसी उ0प्र0 के मेहदीगंज पंचायत में स्थित हिन्दुस्तान कोका कोला ब्रेवरेज प्रा0 लिमिटेड संयन्त्र द्वारा रोजाना लाखो लीटर भूजल का दोहन किया जा रहा है। जिसके कारण आसपास के गॉवों में भयंकर पानी का संकट पैदा हो गया है, क्षेत्र के अधिकांश हैण्डपम्प ,कुएं, नलकूप, तालाब आदि सूख गये है, पीने का पानी व खेती का भयंकर संकट पैदा हो गया है, परिणाम स्वरूप जल संसाधन मंत्रालय द्वारा आराजी लाइन ब्लाक को क्रिटिकल ब्लाक (सूखाग्रस्त क्षेत्र) घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं प्रमुख सचिव उ0प्र0द्वारा क्षेत्र में जल संकट को देखते हुए 15.05.2012 को एक आदेश जारी करके आराजी लाइन ब्लॉक में नये सरकारी हैण्डपम्प व नलकूप लगाने पर पाबंदी लगा दिया है।

दुसरी तरफ कोका कोला कम्पनी मेहदीगंज भूजल का और दोहन करके मुनाफा कमाने में लगी हुई है। इसी कड़ी में उक्त कम्पनी में दिनांक 03.05.2012 को केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में लिये जा रहे भूजल (50,000m^3/ Year) से 5 गुना ज्यादा (250,000m^3/Year) लगभग **1000 फीट** की गहराई से भूजल निकालने की अनुमति मांग रही है। ऐसी दशा में और पानी निकालने की अनुमति मिलने पर पुरे इलाके में भयंकर पानी का संकट पैदा हो जायेगा।

अतः कम्पनी द्वारा भूजल निकालने के लिए मांगे गये अनापत्ति प्रमाण पत्र के संदर्भ में हम निम्न मांग करते है.

1 कोका कोला संयन्त्र मेहदीगंज द्वारा भूजल निकालने के लिए मांगे गये अनापत्ति प्रमाण पत्र को किसी भी दशा में न दिया जाय

2 क्षेत्र में भयंकर पानी के संकट को देखते हुए वर्तमान में कम्पनी द्वारा किये जा रहे भूजल शोषण पर तत्काल रोक लगायी जाय।

हस्ताक्षर

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रतिलिपिः–

1. जल संसाधन मंत्रालय , चतुर्थतल श्रमशक्ति भवन रफी मार्ग नई दिल्ली।
2. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकअप भवन, तृतीय तल बी ब्लाक विभूतिखण्ड गोमती नगर
3. केन्द्रीय भूजल बोर्ड जाम नगर हाउस मानसिंह रोड, नई दिल्ली।
4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी0जी0ओ0 काम्प्लैक्स लोधी रोड पर्यावरण भवन नई दिल्ली 110003
5. माननीय मंत्री , केन्द्रीय ग्रामविकास मंत्रालय , ग्रामीण विकास विभाग , कृषि भवन, नई दिल्ली 110001
6. माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, शास्त्री भवन, उ0प्र0।
7. जिलाधिकारी , जनपद वाराणसी, उ0प्र0।

ग्राम पंचायत ढोलापुर

न्याय पंचायत काशीपुर वि0ख0 आराजी लाइन्स वाराणसी

स्वयं राजभर
ग्राम प्रधान

निवास
ग्राम– ढोलापुर,पोस्ट काशीपुर
जनपद – वाराणसी

पत्रांक......................
दिनांक 8.5.13

सेवा में

सदस्य सचिव,
केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण
पश्चिम ब्लॉक–11 विंग–3, भूजल सेक्टर–1
आर0के0 पुरम, नई दिल्ली–110066

विषयः– कोका कोला संयन्त्र मेंहदीगंज द्वारा भूजल निकालने के लिए माँगे गये अनापति प्रमाण पत्र नही देने के संदर्भ में

महोदय,

आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते है कि वाराणसी उ0प्र0 के मेहदीगंज पंचायत में स्थित हिन्दुस्तान कोका कोला ब्रेवरेज प्रा0 लिमिटेड संयन्त्र द्वारा रोजाना लाखो लीटर भूजल का दोहन किया जा रहा है। जिसके कारण आसपास के गॉवों में भयंकर पानी का संकट पैदा हो गया है, क्षेत्र के अधिकांश हैण्डपम्प ,कुएं, नलकूप, तालाब आदि सूख गये है, पीने का पानी व खेती का भयंकर संकट पैदा हो गया है, परिणाम स्वरूप जल संसाधन मंत्रालय द्वारा आराजी लाइन ब्लाक को क्रिटिकल ब्लाक (सूखाग्रस्त क्षेत्र) घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं प्रमुख सचिव उ0प्र0द्वारा क्षेत्र में जल संकट को देखते हुए 15.05.2012 को एक आदेश जारी करके आराजी लाइन ब्लॉक में नये सरकारी हैण्डपम्प व नलकूप लगाने पर पाबंदी लगा दिया है।

दुसरी तरफ कोका कोला कम्पनी मेहदीगंज भूजल का और दोहन करके मुनाफा कमाने में लगी हुई है। इसी कड़ी में उक्त कम्पनी में दिनांक 03.05.2012 को केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में लिये जा रहे भूजल (50,000m^3/ Year) से 5 गुना ज्यादा (250,000m^3/Year) लगभग **1000 फीट** की गहराई से भूजल निकालने की अनुमति मांग रही है। ऐसी दशा में और पानी निकालने की अनुमति मिलने पर पुरे इलाके में भयंकर पानी का संकट पैदा हो जायेगा।

अतः कम्पनी द्वारा भूजल निकालने के लिए मांगे गये अनापत्ति प्रमाण पत्र के संदर्भ में हम निम्न मांग करते है.

1 **कोका कोला संयन्त्र मेहदीगंज द्वारा भूजल निकालने के लिए मांगे गये अनापत्ति प्रमाण पत्र को किसी भी दशा में न दिया जाय**

2 **क्षेत्र में भयंकर पानी के संकट को देखते हुए वर्तमान में कम्पनी द्वारा किये जा रहे भूजल शोषण पर तत्काल रोक लगायी जाय।**

हस्ताक्षर
स्वयं
ग्राम प्रधान

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रतिलिपिः–

1.जल संसाधन मंत्रालय , चतुर्थतल श्रमशक्ति भवन रफी मार्ग नई दिल्ली।
2.सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकअप भवन, तृतीय तल बी ब्लाक विभूतिखण्ड गोमती नगर लखनऊ।
3.केन्द्रीय भूजल बोर्ड जाम नगर हाउस मानसिंह रोड, नई दिल्ली।
4.पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी0जी0ओ0 काम्प्लैक्स लोधी रोड पर्यावरण भवन नई दिल्ली 110003
5.माननीय मंत्री , केन्द्रीय ग्रामविकास मंत्रालय , ग्रामीण विकास विभाग , कृषि भवन, नई दिल्ली 110001
6.माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, शास्त्री भवन, उ0प्र0।
7.जिलाधिकारी , जनपद वाराणसी, उ0प्र0।

ग्राम पंचायत भदराशी

न्याय पंचायत काशीपुर वि0ख0 आराजी लाइन्स वाराणसी

कल्पनाथ राजभर
ग्राम प्रधान

निवास
ग्राम– भदराशी,पोस्ट काशीपुर
जनपद – वाराणसी

पत्रांक.......................

दिनांक....8-4-13

सेवा में

सदस्य सचिव,
केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण
पश्चिम ब्लॉक–11 विंग–3, भूजल सेक्टर–1
आर0के0 पुरम, नई दिल्ली–110066

विषयः– कोका कोला संयन्त्र मेंहदीगंज द्वारा भूजल निकालने के लिए मॉगे गये अनापति प्रमाण पत्र नही देने के संदर्भ में

महोदय,

आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते है कि वाराणसी उ0प्र0 के मेहदीगंज पंचायत में स्थित हिन्दुस्तान कोका कोला ब्रेवरेज प्रा0 लिमिटेड संयन्त्र द्वारा रोजाना लाखो लीटर भूजल का दोहन किया जा रहा है। जिसके कारण आसपास के गॉवों में भयंकर पानी का संकट पैदा हो गया है, क्षेत्र के अधिकांश हैण्डपम्प ,कुएं, नलकूप, तालाब आदि सूख गये है, पीने का पानी व खेती का भयंकर संकट पैदा हो गया है, परिणाम स्वरूप जल संसाधन मंत्रालय द्वारा आराजी लाइन ब्लाक को क्रिटिकल ब्लाक (सूखाग्रस्त क्षेत्र) घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं प्रमुख सचिव उ0प्र0द्वारा क्षेत्र में जल संकट को देखते हुए 15.05.2012 को एक आदेश जारी करके आराजी लाइन ब्लॉक में नये सरकारी हैण्डपम्प व नलकूप लगाने पर पाबंदी लगा दिया है।

दुसरी तरफ कोका कोला कम्पनी मेहदीगंज भूजल का और दोहन करके मुनाफा कमाने में लगी हुई है। इसी कड़ी में उक्त कम्पनी में दिनांक 03.05.2012 को केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में लिये जा रहे भूजल (50,000m^3/ Year) से 5 गुना ज्यादा (250,000m^3/Year) लगभग **1000 फीट** की गहराई से भूजल निकालने की अनुमति मांग रही है। ऐसी दशा में और पानी निकालने की अनुमति मिलने पर पुरे इलाके में भयंकर पानी का संकट पैदा हो जायेगा।

अतः कम्पनी द्वारा भूजल निकालने के लिए मांगे गये अनापत्ति प्रमाण पत्र के संदर्भ में हम निम्न मांग करते है.

1. **कोका कोला संयन्त्र मेहदीगंज द्वारा भूजल निकालने के लिए मांगे गये अनापत्ति प्रमाण पत्र को किसी भी दशा में न दिया जाय**
2. **क्षेत्र में भयंकर पानी के संकट को देखते हुए वर्तमान में कम्पनी द्वारा किये जा रहे भूजल शोषण पर तत्काल रोक लगायी जाय।**

हस्ताक्षर

ग्रा0 भदराशी
कल्पनाथ
प्रधान
वि0ख0–आराजी लाइन्स, जि0–वाराणसी

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रतिलिपिः–

1.जल संसाधन मंत्रालय , चतुर्थतल श्रमशक्ति भवन रफी मार्ग नई दिल्ली।
2.सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकअप भवन, तृतीय तल बी ब्लाक विभूतिखण्ड गोमती नगर लखनऊ।
3.केन्दीय भूजल बोर्ड जाम नगर हाउस मानसिंह रोड, नई दिल्ली।
4.पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी0जी0ओ0 काम्प्लैक्स लोधी रोड पर्यावरण भवन नई दिल्ली 110003
5.माननीय मंत्री , केन्द्रीय ग्रामविकास मंत्रालय , ग्रामीण विकास विभाग , कृषि भवन, नई दिल्ली 110001
6.माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, शास्त्री भवन, उ0प्र0।
7.जिलाधिकारी , जनपद वाराणसी, उ0प्र0।

ग्राम पंचायत देउरा

न्याय पंचायत काशीपुर वि0ख0 आराजी लाइन्स वाराणसी

राजेश कुमार
ग्राम प्रधान

निवास
ग्राम– देउरा,पोस्ट काशीपुर
जनपद – वाराणसी

पत्रांक......................

दिनांक 8-5-13

सेवा में

सदस्य सचिव,
केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण
पश्चिम ब्लॉक–11 विंग–3, भूजल सेक्टर–1
आर0के0 पुरम, नई दिल्ली–110066

विषयः– कोका कोला संयन्त्र मेंहदीगंज द्वारा भूजल निकालने के लिए मॉगे गये अनापति प्रमाण पत्र नही देने के संदर्भ में

महोदय,

आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते है कि वाराणसी उ0प्र0 के मेहदीगंज पंचायत में स्थित हिन्दुस्तान कोका कोला ब्रेवरेज प्रा0 लिमिटेड संयन्त्र द्वारा रोजाना लाखो लीटर भूजल का दोहन किया जा रहा है। जिसके कारण आसपास के गॉवों में भयंकर पानी का संकट पैदा हो गया है, क्षेत्र के अधिकांश हैण्डपम्प ,कुएं, नलकूप, तालाब आदि सूख गये है, पीने का पानी व खेती का भयंकर संकट पैदा हो गया है, परिणाम स्वरूप जल संसाधन मंत्रालय द्वारा आराजी लाइन ब्लाक को क्रिटिकल ब्लाक (सूखाग्रस्त क्षेत्र) घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं प्रमुख सचिव उ0प्र0द्वारा क्षेत्र में जल संकट को देखते हुए 15.05.2012 को एक आदेश जारी करके आराजी लाइन ब्लॉक में नये सरकारी हैण्डपम्प व नलकूप लगाने पर पाबंदी लगा दिया है।

दुसरी तरफ कोका कोला कम्पनी मेहदीगंज भूजल का और दोहन करके मुनाफा कमाने में लगी हुई है। इसी कड़ी में उक्त कम्पनी में दिनांक 03.05.2012 को केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में लिये जा रहे भूजल (50,000m^3/ Year) से 5 गुना ज्यादा (250,000m^3/Year) लगभग **1000 फीट** की गहराई से भूजल निकालने की अनुमति मांग रही है। ऐसी दशा में और पानी निकालने की अनुमति मिलने पर पुरे इलाके में भयंकर पानी का संकट पैदा हो जायेगा।

अतः कम्पनी द्वारा भूजल निकालने के लिए मांगे गये अनापत्ति प्रमाण पत्र के संदर्भ में हम निम्न मांग करते है.

1. **कोका कोला संयन्त्र मेहदीगंज द्वारा भूजल निकालने के लिए मांगे गये अनापत्ति प्रमाण पत्र को किसी भी दशा में न दिया जाय**
2. **क्षेत्र में भयंकर पानी के संकट को देखते हुए वर्तमान में कम्पनी द्वारा किये जा रहे भूजल शोषण पर तत्काल रोक लगायी जाय।**

हस्ताक्षर

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रतिलिपिः–

1.जल संसाधन मंत्रालय , चतुर्थतल श्रमशक्ति भवन रफी मार्ग नई दिल्ली।
2.सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रंदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकअप भवन, तृतीय तल बी ब्लाक विभूतिखण्ड गोमती नगर लखनऊ।
3.केन्द्रीय भूजल बोर्ड जाम नगर हाउस मानसिंह रोड, नई दिल्ली।
4.पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी0जी0ओ0 काम्प्लैक्स लोधी रोड पर्यावरण भवन नई दिल्ली 110003
5.माननीय मंत्री , केन्द्रीय ग्रामविकास मंत्रालय , ग्रामीण विकास विभाग , कृषि भवन, नई दिल्ली 110001
6.माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, शास्त्री भवन, उ0प्र0।
7.जिलाधिकारी , जनपद वाराणसी, उ0प्र0।

ग्राम पंचायत नागेपुर

न्याय पंचायत बेनीपुर वि0ख0 आराजी लाइन्स वाराणसी

मुकेश कुमार
ग्राम प्रधान

निवास
ग्राम– नागेपुर,पोस्ट बेनीपुर
जनपद – वाराणसी

पत्रांक.......................

दिनांक 8-4-13

सेवा में
सदस्य सचिव,
केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण
पश्चिम ब्लॉक–11 विंग–3, भूजल सेक्टर–1
आर0के0 पुरम, नई दिल्ली–110066

विषयः– कोका कोला संयन्त्र मेंहदीगंज द्वारा भूजल निकालने के लिए मॉगे गये अनापति प्रमाण पत्र नही देने के संदर्भ में।

महोदय,

आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते है कि वाराणसी उ0प्र0 के मेहदीगंज पंचायत में स्थित हिन्दुस्तान कोका कोला ब्रेवरेज प्रा0 लिमिटेड संयन्त्र द्वारा रोजाना लाखो लीटर भूजल का दोहन किया जा रहा है। जिसके कारण आसपास के गॉवों में भयंकर पानी का संकट पैदा हो गया है, क्षेत्र के अधिकांश हैण्डपम्प ,कुएं, नलकूप, तालाब आदि सूख गये है, पीने का पानी व खेती का भयंकर संकट पैदा हो गया है, परिणाम स्वरूप जल संसाधन मंत्रालय द्वारा आराजी लाइन ब्लाक को क्रिटिकल ब्लाक (सूखाग्रस्त क्षेत्र) घोषित कर दिया है। इत्तना ही नहीं प्रमुख सचिव उ0प्र0द्वारा क्षेत्र में जल संकट को देखते हुए 15.05.2012 को एक आदेश जारी करके आराजी लाइन ब्लॉक में नये सरकारी हैण्डपम्प व नलकूप लगाने पर पाबंदी लगा दिया है।

दुसरी तरफ कोका कोला कम्पनी मेहदीगंज भूजल का और दोहन करके मुनाफा कमाने में लगी हुई है। इसी कड़ी में उक्त कम्पनी में दिनांक 03.05.2012 को केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में लिये जा रहे भूजल (50,000m^3/ Year) से 5 गुना ज्यादा (250,000m^3/Year) लगभग 1000 फीट की गहराई से भूजल निकालने की अनुमति मांग रही है। ऐसी दशा में और पानी निकालने की अनुमति मिलने पर पुरे इलाके में भयंकर पानी का संकट पैदा हो जायेगा।

अतः कम्पनी द्वारा भूजल निकालने के लिए मांगे गये अनापत्ति प्रमाण पत्र के संदर्भ में हम निम्न मांग करते है.

1 कोका कोला संयन्त्र मेहदीगंज द्वारा भूजल निकालने के लिए मांगे गये अनापत्ति प्रमाण पत्र को किसी भी दशा में न दिया जाय
2 क्षेत्र में भयंकर पानी के संकट को देखते हुए वर्तमान में कम्पनी द्वारा किये जा रहे भूजल शोषण पर तत्काल रोक लगायी जाय।

हस्ताक्षर

ग्रा० पं० नागेपुर
प्रधान
ग्रा० पं० बेनीपुर वि०ख०-आराजी लाइन्स वाराणसी

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रतिलिपिः–

1.जल संसाधन मंत्रालय , चतुर्थतल श्रमशक्ति भवन रफी मार्ग नई दिल्ली।
2.सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकअप भवन, तृतीय तल बी ब्लाक विभूतिखण्ड गोमती नगर लखनऊ।
3.केन्द्रीय भूजल बोर्ड जाम नगर हाउस मानसिंह रोड, नई दिल्ली।
4.पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी0जी0ओ0 काम्प्लैक्स लोधी रोड पर्यावरण भवन नई दिल्ली 110003
5.माननीय मंत्री , केन्द्रीय ग्रामविकास मंत्रालय , ग्रामीण विकास विभाग , कृषि भवन, नई दिल्ली 110001
6.माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, शास्त्री भवन, उ0प्र0।
7.जिलाधिकारी , जनपद वाराणसी, उ0प्र0।

ग्राम पंचायत बेनीपुर

न्याय पंचायत बेनीपुर वि0ख0 आराजी लाइन्स वाराणसी

सदानन्द
ग्राम प्रधान

निवास
ग्राम– बेनीपुर,पोस्ट बेनीपुर
जनपद – वाराणसी

पत्रांक......................   दिनांक 8-5-15

सेवा में

सदस्य सचिव,
केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण
पश्चिम ब्लॉक–11 विंग–3, भूजल सेक्टर–1
आर0के0 पुरम, नई दिल्ली–110066

विषयः– कोका कोला संयन्त्र मेंहदीगंज द्वारा भूजल निकालने के लिए मॉगे गये अनापति प्रमाण पत्र नही देने के संदर्भ में।

महोदय,

आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते है कि वाराणसी उ0प्र0 के मेहदीगंज पंचायत में स्थित हिन्दुस्तान कोका कोला ब्रेवरेज प्रा0 लिमिटेड संयन्त्र द्वारा रोजाना लाखो लीटर भूजल का दोहन किया जा रहा है। जिसके कारण आसपास के गॉवों में भयंकर पानी का संकट पैदा हो गया है, क्षेत्र के अधिकांश हैण्डपम्प ,कुएं, नलकूप, तालाब आदि सूख गये है, पीने का पानी व खेती का भयंकर संकट पैदा हो गया है, परिणाम स्वरूप जल संसाधन मंत्रालय द्वारा आराजी लाइन ब्लाक को क्रिटिकल ब्लाक (सूखाग्रस्त क्षेत्र) घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं प्रमुख सचिव उ0प्र0द्वारा क्षेत्र में जल संकट को देखते हुए 15.05.2012 को एक आदेश जारी करके आराजी लाइन ब्लॉक में नये सरकारी हैण्डपम्प व नलकूप लगाने पर पाबंदी लगा दिया है।

दुसरी तरफ कोका कोला कम्पनी मेहदीगंज भूजल का और दोहन करके मुनाफा कमाने में लगी हुई है। इसी कड़ी में उक्त कम्पनी में दिनांक 03.05.2012 को केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में लिये जा रहे भूजल (50,000m^3/ Year) से 5 गुना ज्यादा (250,000m^3/Year) लगभग **1000 फीट** की गहराई से भूजल निकालने की अनुमति मांग रही है। ऐसी दशा में और पानी निकालने की अनुमति मिलने पर पुरे इलाके में भयंकर पानी का संकट पैदा हो जायेगा।

अतः कम्पनी द्वारा भूजल निकालने के लिए मांगे गये अनापत्ति प्रमाण पत्र के संदर्भ में हम निम्न मांग करते है.

1 कोका कोला संयन्त्र मेहदीगंज द्वारा भूजल निकालने के लिए मांगे गये अनापत्ति प्रमाण पत्र को किसी भी दशा में न दिया जाय
2 क्षेत्र में भयंकर पानी के संकट को देखते हुए वर्तमान में कम्पनी द्वारा किये जा रहे भूजल शोषण पर तत्काल रोक लगायी जाय।

हस्ताक्षर
ग्राम प्रधान

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रतिलिपिः–

1. जल संसाधन मंत्रालय , चतुर्थतल श्रमशक्ति भवन रफी मार्ग नई दिल्ली।
2. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकअप भवन, तृतीय तल बी ब्लाक विभूतिखण्ड गोमती नगर लखनऊ।
3. केन्दीय भूजल बोर्ड जाम नगर हाउस मानसिंह रोड, नई दिल्ली।
4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी0जी0ओ0 काम्प्लैक्स लोधी रोड पर्यावरण भवन नई दिल्ली 110003
5. माननीय मंत्री , केन्द्रीय ग्रामविकास मंत्रालय , ग्रामीण विकास विभाग , कृषि भवन, नई दिल्ली 110001
6. माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, शास्त्री भवन, उ0प्र0।
7. जिलाधिकारी , जनपद वाराणसी, उ0प्र0।

ग्राम पंचायत कल्लीपुर

न्याय पंचायत बेनीपुर वि0ख0 आराजी लाइन्स वाराणसी

तेजनाथ पटेल
ग्राम प्रधान

निवास
ग्राम– कल्लीपुर,पोस्ट मिर्जामुराद
जनपद – वाराणसी

पत्रांक......................

दिनांक 8-4-15

सेवा में

सदस्य सचिव,
केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण
पश्चिम ब्लॉक–11 विंग–3, भूजल सेक्टर–1
आर0के0 पुरम, नई दिल्ली–110066

विषय:– कोका कोला संयन्त्र मेंहदीगंज द्वारा भूजल निकालने के लिए मॉगे गये अनापति प्रमाण पत्र नही देने के संदर्भ में।

महोदय,

आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते है कि वाराणसी उ0प्र0 के मेहदीगंज पंचायत में स्थित हिन्दुस्तान कोका कोला ब्रेवरेज प्रा0 लिमिटेड संयन्त्र द्वारा रोजाना लाखो लीटर भूजल का दोहन किया जा रहा है। जिसके कारण आसपास के गॉवों में भयंकर पानी का संकट पैदा हो गया है, क्षेत्र के अधिकांश हैण्डपम्प ,कुएं, नलकूप, तालाब आदि सूख गये है, पीने का पानी व खेती का भयंकर संकट पैदा हो गया है, परिणाम स्वरूप जल संसाधन मंत्रालय द्वारा आराजी लाइन ब्लाक को क्रिटिकल ब्लाक (सूखाग्रस्त क्षेत्र) घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं प्रमुख सचिव उ0प्र0द्वारा क्षेत्र में जल संकट को देखते हुए 15.05.2012 को एक आदेश जारी करके आराजी लाइन ब्लॉक में नये सरकारी हैण्डपम्प व नलकूप लगाने पर पाबंदी लगा दिया है।

दुसरी तरफ कोका कोला कम्पनी मेहदीगंज भूजल का और दोहन करके मुनाफा कमाने में लगी हुई है। इसी कड़ी में उक्त कम्पनी में दिनांक 03.05.2012 को केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में लिये जा रहे भूजल ($50{,}000 m^3$/ Year) से 5 गुना ज्यादा ($250{,}000 m^3$/Year) लगभग **1000 फीट** की गहराई से भूजल निकालने की अनुमति मांग रही है। ऐसी दशा में और पानी निकालने की अनुमति मिलने पर पुरे इलाके में भयंकर पानी का संकट पैदा हो जायेगा।

अतः कम्पनी द्वारा भूजल निकालने के लिए मांगे गये अनापत्ति प्रमाण पत्र के संदर्भ में हम निम्न मांग करते है.

1 कोका कोला संयन्त्र मेहदीगंज द्वारा भूजल निकालने के लिए मांगे गये अनापत्ति प्रमाण पत्र को किसी भी दशा में न दिया जाय
2 क्षेत्र में भयंकर पानी के संकट को देखते हुए वर्तमान में कम्पनी द्वारा किये जा रहे भूजल शोषण पर तत्काल रोक लगायी जाय।

हस्ताक्षर

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रतिलिपिः–

1. जल संसाधन मंत्रालय , चतुर्थतल श्रमशक्ति भवन रफी मार्ग नई दिल्ली।
2. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकअप भवन, तृतीय तल बी ब्लाक विभूतिखण्ड गोमती नगर लखनऊ।
3. केन्द्रीय भूजल बोर्ड जाम नगर हाउस मानसिंह रोड, नई दिल्ली।
4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी0जी0ओ0 काम्प्लैक्स लोधी रोड पर्यावरण भवन नई दिल्ली 110003
5. माननीय मंत्री , केन्द्रीय ग्रामविकास मंत्रालय , ग्रामीण विकास विभाग , कृषि भवन, नई दिल्ली 110001
6. माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, शास्त्री भवन, उ0प्र0।
7. जिलाधिकारी , जनपद वाराणसी, उ0प्र0।

ग्राम पंचायत चन्दापुर

न्याय पंचायत जक्खिनी वि0ख0 आराजी लाइन्स वाराणसी

सावित्री देवी
ग्राम प्रधान

निवास
ग्राम– चन्दापुर,पोस्ट जक्खिनी
जनपद – वाराणसी

पत्रांक.......................

दिनांक 8-5-13

सेवा में

सदस्य सचिव,
केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण
पश्चिम ब्लॉक–11 विंग–3, भूजल सेक्टर–1
आर0के0 पुरम, नई दिल्ली–110066

विषयः– कोका कोला संयन्त्र मेंहदीगंज द्वारा भूजल निकालने के लिए मॉगे गये अनापति प्रमाण पत्र नही देने के संदर्भ में।

महोदय,

आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते है कि वाराणसी उ0प्र0 के मेहदीगंज पंचायत में स्थित हिन्दुस्तान कोका कोला ब्रेवरेज प्रा0 लिमिटेड संयन्त्र द्वारा रोजाना लाखो लीटर भूजल का दोहन किया जा रहा है। जिसके कारण आसपास के गॉवों में भयंकर पानी का संकट पैदा हो गया है, क्षेत्र के अधिकांश हैण्डपम्प ,कुएं, नलकूप, तालाब आदि सूख गये है, पीने का पानी व खेती का भयंकर संकट पैदा हो गया है, परिणाम स्वरूप जल संसाधन मंत्रालय द्वारा आराजी लाइन ब्लाक को क्रिटिकल ब्लाक (सूखाग्रस्त क्षेत्र) घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं प्रमुख सचिव उ0प्र0द्वारा क्षेत्र में जल संकट को देखते हुए 15.05.2012 को एक आदेश जारी करके आराजी लाइन ब्लॉक में नये सरकारी हैण्डपम्प व नलकूप लगाने पर पाबंदी लगा दिया है।

दुसरी तरफ कोका कोला कम्पनी मेहदीगंज भूजल का और दोहन करके मुनाफा कमाने में लगी हुई है। इसी कड़ी में उक्त कम्पनी में दिनांक 03.05.2012 को केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में लिये जा रहे भूजल (50,000m^3/ Year) से 5 गुना ज्यादा (250,000m^3/Year) लगभग **1000 फीट** की गहराई से भूजल निकालने की अनुमति मांग रही है। ऐसी दशा में और पानी निकालने की अनुमति मिलने पर पुरे इलाके में भयंकर पानी का संकट पैदा हो जायेगा।

अतः कम्पनी द्वारा भूजल निकालने के लिए मांगे गये अनापत्ति प्रमाण पत्र के संदर्भ में हम निम्न मांग करते है.

1 कोका कोला संयन्त्र मेहदीगंज द्वारा भूजल निकालने के लिए मांगे गये अनापत्ति प्रमाण पत्र को किसी भी दशा में न दिया जाय
2 क्षेत्र में भयंकर पानी के संकट को देखते हुए वर्तमान में कम्पनी द्वारा किये जा रहे भूजल शोषण पर तत्काल रोक लगायी जाय।

हस्ताक्षर

ग्राम पंचायत–चन्दापुर
सावित्री
ग्राम प्रधान

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रतिलिपिः–

1. जल संसाधन मंत्रालय , चतुर्थतल श्रमशक्ति भवन रफी मार्ग नई दिल्ली।
2. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकअप भवन, तृतीय तल बी ब्लाक विभूतिखण्ड गोमती नगर लखनऊ।
3. केन्द्रीय भूजल बोर्ड जाम नगर हाउस मानसिंह रोड, नई दिल्ली।
4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी0जी0ओ0 काम्प्लैक्स लोधी रोड पर्यावरण भवन नई दिल्ली 110003
5. माननीय मंत्री , केन्द्रीय ग्रामविकास मंत्रालय , ग्रामीण विकास विभाग , कृषि भवन, नई दिल्ली 110001
6. माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, शास्त्री भवन, उ0प्र0।
7. जिलाधिकारी , जनपद वाराणसी, उ0प्र0।

ग्राम पंचायत कचहरियाँ

न्याय पंचायत महगॉव वि0ख0 आराजी लाइन्स वाराणसी

अंजू देवी
ग्राम प्रधान

निवास
ग्राम– कचहरियॉ,पोस्ट महगॉव
जनपद – वाराणसी

पत्रांक.......................   दिनांक 8-5-13

सेवा में

सदस्य सचिव,
केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण
पश्चिम ब्लॉक–11 विंग–3, भूजल सेक्टर–1
आर0के0 पुरम, नई दिल्ली–110066

विषयः– कोका कोला संयन्त्र मेंहदीगंज द्वारा भूजल निकालने के लिए मॉगे गये अनापति प्रमाण पत्र नही देने के संदर्भ में।

महोदय,

आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते है कि वाराणसी उ0प्र0 के मेहदीगंज पंचायत में स्थित हिन्दुस्तान कोका कोला ब्रेवरेज प्रा0 लिमिटेड संयन्त्र द्वारा रोजाना लाखो लीटर भूजल का दोहन किया जा रहा है। जिसके कारण आसपास के गॉवों में भयंकर पानी का संकट पैदा हो गया है, क्षेत्र के अधिकांश हैण्डपम्प ,कुएं, नलकूप, तालाब आदि सूख गये है, पीने का पानी व खेती का भयंकर संकट पैदा हो गया है, परिणाम स्वरूप जल संसाधन मंत्रालय द्वारा आराजी लाइन ब्लाक को क्रिटिकल ब्लाक (सूखाग्रस्त क्षेत्र) घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं प्रमुख सचिव उ0प्र0द्वारा क्षेत्र में जल संकट को देखते हुए 15.05.2012 को एक आदेश जारी करके आराजी लाइन ब्लॉक में नये सरकारी हैण्डपम्प व नलकूप लगाने पर पाबंदी लगा दिया है।

दुसरी तरफ कोका कोला कम्पनी मेहदीगंज भूजल का और दोहन करके मुनाफा कमाने में लगी हुई है। इसी कडी में उक्त कम्पनी में दिनांक 03.05.2012 को केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में लिये जा रहे भूजल (50,000m^3/ Year) से 5 गुना ज्यादा (250,000m^3/Year) लगभग **1000 फीट** की गहराई से भूजल निकालने की अनुमति मांग रही है। ऐसी दशा में और पानी निकालने की अनुमति मिलने पर पुरे इलाके में भयंकर पानी का संकट पैदा हो जायेगा।

अतः कम्पनी द्वारा भूजल निकालने के लिए मांगे गये अनापत्ति प्रमाण पत्र के संदर्भ में हम निम्न मांग करते है.

1 कोका कोला संयन्त्र मेहदीगंज द्वारा भूजल निकालने के लिए मांगे गये अनापत्ति प्रमाण पत्र को किसी भी दशा में न दिया जाय
2 क्षेत्र में भयंकर पानी के संकट को देखते हुए वर्तमान में कम्पनी द्वारा किये जा रहे भूजल शोषण पर तत्काल रोक लगायी जाय।

ग्राम पंचायत कचहरियॉ
हस्ताक्षर
प्रधान
वि0ख0 आराजी लाइन्स वाराणसी

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रतिलिपिः–

1. जल संसाधन मंत्रालय , चतुर्थतल श्रमशक्ति भवन रफी मार्ग नई दिल्ली।
2. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकअप भवन, तृतीय तल बी ब्लाक विभूतिखण्ड गोमती नगर लखनऊ।
3. केन्दीय भूजल बोर्ड जाम नगर हाउस मानसिंह रोड, नई दिल्ली।
4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी0जी0ओ0 काम्प्लैक्स लोधी रोड पर्यावरण भवन नई दिल्ली 110003
5. माननीय मंत्री , केन्द्रीय ग्रामविकास मंत्रालय , ग्रामीण विकास विभाग , कृषि भवन, नई दिल्ली 110001
6. माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, शास्त्री भवन, उ0प्र0।
7. जिलाधिकारी , जनपद वाराणसी, उ0प्र0।

ग्राम पंचायत मोंगलावीर

न्याय पंचायत रामसिंहपुर वि0ख0 आराजी लाइन्स वाराणसी

सिद्धनाथ पटेल
ग्राम प्रधान

निवास
ग्राम– मोंगलावीर,पोस्ट मिर्जामुराद
जनपद – वाराणसी

पत्रांक...................... दिनांक ९.५.13

सेवा में
सदस्य सचिव,
केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण
पश्चिम ब्लॉक–11 विंग–3, भूजल सेक्टर–1
आर0के0 पुरम, नई दिल्ली–110066

विषयः– कोका कोला संयन्त्र मेंहदीगंज द्वारा भूजल निकालने के लिए माँगे गये अनापति प्रमाण पत्र नही देने के संदर्भ में

महोदय,

आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते है कि वाराणसी उ0प्र0 के मेहदीगंज पंचायत में स्थित हिन्दुस्तान कोका कोला ब्रेवरेज प्रा0 लिमिटेड संयन्त्र द्वारा रोजाना लाखो लीटर भूजल का दोहन किया जा रहा है। जिसके कारण आसपास के गॉवों में भयंकर पानी का संकट पैदा हो गया है, क्षेत्र के अधिकांश हैण्डपम्प ,कुएं, नलकूप, तालाब आदि सूख गये है, पीने का पानी व खेती का भयंकर संकट पैदा हो गया है, परिणाम स्वरूप जल संसाधन मंत्रालय द्वारा आराजी लाइन ब्लाक को क्रिटिकल ब्लाक (सूखाग्रस्त क्षेत्र) घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं प्रमुख सचिव उ0प्र0द्वारा क्षेत्र में जल संकट को देखते हुए 15.05.2012 को एक आदेश जारी करके आराजी लाइन ब्लॉक में नये सरकारी हैण्डपम्प व नलकूप लगाने पर पाबंदी लगा दिया है।

दुसरी तरफ कोका कोला कम्पनी मेहदीगंज भूजल का और दोहन करके मुनाफा कमाने में लगी हुई है। इसी कड़ी में उक्त कम्पनी में दिनांक 03.05.2012 को केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में लिये जा रहे भूजल (50,000m^3/ Year) से 5 गुना ज्यादा (250,000m^3/Year) लगभग **1000 फीट** की गहराई से भूजल निकालने की अनुमति मांग रही है। ऐसी दशा में और पानी निकालने की अनुमति मिलने पर पुरे इलाके में भयंकर पानी का संकट पैदा हो जायेगा।

अतः कम्पनी द्वारा भूजल निकालने के लिए मांगे गये अनापत्ति प्रमाण पत्र के संदर्भ में हम निम्न मांग करते है.

1. **कोका कोला संयन्त्र मेहदीगंज द्वारा भूजल निकालने के लिए मांगे गये अनापत्ति प्रमाण पत्र को किसी भी दशा में न दिया जाय**
2. **क्षेत्र में भयंकर पानी के संकट को देखते हुए वर्तमान में कम्पनी द्वारा किये जा रहे भूजल शोषण पर तत्काल रोक लगायी जाय।**

हस्ताक्षर

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रतिलिपिः–

1.जल संसाधन मंत्रालय , चतुर्थतल श्रमशक्ति भवन रफी मार्ग नई दिल्ली।
2.सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकअप भवन, तृतीय तल बी ब्लाक विभूतिखण्ड गोमती नगर लखनऊ।
3.केन्दीय भूजल बोर्ड जाम नगर हाउस मानसिंह रोड, नई दिल्ली।
4.पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी0जी0ओ0 काम्प्लैक्स लोधी रोड पर्यावरण भवन नई दिल्ली 110003
5.माननीय मंत्री , केन्द्रीय ग्रामविकास मंत्रालय , ग्रामीण विकास विभाग , कृषि भवन, नई दिल्ली 110001
6.माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, शास्त्री भवन, उ0प्र0।
7.जिलाधिकारी   जनपद वाराणसी. उ0प्र0।

ग्राम पंचायत रखौना

न्याय पंचायत कचनार वि0ख0 आराजी लाइन्स वाराणसी

राजेश नारायण यादव
ग्राम प्रधान

निवास
ग्राम– रखौना,पोस्ट राजातालाब
जनपद – वाराणसी

पत्रांक......................

दिनांक 8-5-13

सेवा में

सदस्य सचिव,
केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण
पश्चिम ब्लॉक–11 विंग–3, भूजल सेक्टर–1
आर0के0 पुरम, नई दिल्ली–110066

विषयः– कोका कोला संयन्त्र मेंहदीगंज द्वारा भूजल निकालने के लिए मॉगे गये अनापति प्रमाण पत्र नही देने के संदर्भ में

महोदय,

आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते है कि वाराणसी उ0प्र0 के मेहदीगंज पंचायत में स्थित हिन्दुस्तान कोका कोला ब्रेवरेज प्रा0 लिमिटेड संयन्त्र द्वारा रोजाना लाखो लीटर भूजल का दोहन किया जा रहा है। जिसके कारण आसपास के गॉवों में भयंकर पानी का संकट पैदा हो गया है, क्षेत्र के अधिकांश हैण्डपम्प ,कुएं, नलकूप, तालाब आदि सूख गये है, पीने का पानी व खेती का भयंकर संकट पैदा हो गया है, परिणाम स्वरूप जल संसाधन मंत्रालय द्वारा आराजी लाइन ब्लाक को क्रिटिकल ब्लाक (सूखाग्रस्त क्षेत्र) घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं प्रमुख सचिव उ0प्र0द्वारा क्षेत्र में जल संकट को देखते हुए 15.05.2012 को एक आदेश जारी करके आराजी लाइन ब्लॉक में नये सरकारी हैण्डपम्प व नलकूप लगाने पर पाबंदी लगा दिया है।

दुसरी तरफ कोका कोला कम्पनी मेहदीगंज भूजल का और दोहन करके मुनाफा कमाने में लगी हुई है। इसी कड़ी में उक्त कम्पनी में दिनांक 03.05.2012 को केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में लिये जा रहे भूजल (50,000m^3/ Year) से 5 गुना ज्यादा (250,000m^3/Year) लगभग **1000 फीट** की गहराई से भूजल निकालने की अनुमति मांग रही है। ऐसी दशा में और पानी निकालने की अनुमति मिलने पर पुरे इलाके में भयंकर पानी का संकट पैदा हो जायेगा।

अतः कम्पनी द्वारा भूजल निकालने के लिए मांगे गये अनापत्ति प्रमाण पत्र के संदर्भ में हम निम्न मांग करते है.

1. **कोका कोला संयन्त्र मेहदीगंज द्वारा भूजल निकालने के लिए मांगे गये अनापत्ति प्रमाण पत्र को किसी भी दशा में न दिया जाय**
2. **क्षेत्र में भयंकर पानी के संकट को देखते हुए वर्तमान में कम्पनी द्वारा किये जा रहे भूजल शोषण पर तत्काल रोक लगायी जाय।**

हस्ताक्षर

ग्राम पंचायत-रखौना
ग्राम प्रधान
आराजी लाइन्स

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रतिलिपिः–

1.जल संसाधन मंत्रालय , चतुर्थतल श्रमशक्ति भवन रफी मार्ग नई दिल्ली।
2.सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकअप भवन, तृतीय तल बी ब्लाक विभूतिखण्ड गोमती नगर लखनऊ।
3.केन्द्रीय भूजल बोर्ड जाम नगर हाउस मानसिंह रोड, नई दिल्ली।
4.पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी0जी0ओ0 काम्प्लैक्स लोधी रोड पर्यावरण भवन नई दिल्ली 110003
5.माननीय मंत्री , केन्द्रीय ग्रामविकास मंत्रालय , ग्रामीण विकास विभाग , कृषि भवन, नई दिल्ली 110001
6.माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, शास्त्री भवन, उ0प्र0।
7.जिलाधिकारी , जनपद वाराणसी, उ0प्र0।

ग्राम पंचायत गनेशपुर

न्याय पंचायत बेनीपुर वि0ख0 आराजी लाइन्स वाराणसी

संजू देवी
ग्राम प्रधान

निवास
ग्राम– गनेशपुर,पोस्ट बेनीपुर
जनपद – वाराणसी

दिनांक 8-5-12

पत्रांक.......................

सेवा में
सदस्य सचिव,
केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण
पश्चिम ब्लॉक–11 विंग–3, भूजल सेक्टर–1
आर0के0 पुरम, नई दिल्ली–110066

विषयः– कोका कोला संयन्त्र मेंहदीगंज द्वारा भूजल निकालने के लिए मॉगे गये अनापति प्रमाण पत्र नही देने के संदर्भ में

महोदय,

आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते है कि वाराणसी उ0प्र0 के मेहदीगंज पंचायत में स्थित हिन्दुस्तान कोका कोला ब्रेवरेज प्रा0 लिमिटेड संयन्त्र द्वारा रोजाना लाखो लीटर भूजल का दोहन किया जा रहा है। जिसके कारण आसपास के गॉवों में भयंकर पानी का संकट पैदा हो गया है, क्षेत्र के अधिकांश हैण्डपम्प ,कुएं, नलकूप, तालाब आदि सूख गये है, पीने का पानी व खेती का भयंकर संकट पैदा हो गया है, परिणाम स्वरूप जल संसाधन मंत्रालय द्वारा आराजी लाइन ब्लाक को क्रिटिकल ब्लाक (सूखाग्रस्त क्षेत्र) घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं प्रमुख सचिव उ0प्र0द्वारा क्षेत्र में जल संकट को देखते हुए 15.05.2012 को एक आदेश जारी करके आराजी लाइन ब्लॉक में नये सरकारी हैण्डपम्प व नलकूप लगाने पर पाबंदी लगा दिया है।

दुसरी तरफ कोका कोला कम्पनी मेहदीगंज भूजल का और दोहन करके मुनाफा कमाने में लगी हुई है। इसी कड़ी में उक्त कम्पनी में दिनांक 03.05.2012 को केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में लिये जा रहे भूजल (50,000m^3/ Year) से 5 गुना ज्यादा (250,000m^3/Year) लगभग **1000 फीट** की गहराई से भूजल निकालने की अनुमति मांग रही है। ऐसी दशा में और पानी निकालने की अनुमति मिलने पर पुरे इलाके में भयंकर पानी का संकट पैदा हो जायेगा।

अतः कम्पनी द्वारा भूजल निकालने के लिए मांगे गये अनापत्ति प्रमाण पत्र के संदर्भ में हम निम्न मांग करते है.

1. **कोका कोला संयन्त्र मेहदीगंज द्वारा भूजल निकालने के लिए मांगे गये अनापत्ति प्रमाण पत्र को किसी भी दशा में न दिया जाय**
2. **क्षेत्र में भयंकर पानी के संकट को देखते हुए वर्तमान में कम्पनी द्वारा किये जा रहे भूजल शोषण पर तत्काल रोक लगायी जाय।**

हस्ताक्षर

संजू देवी
प्रधान

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रतिलिपिः–

1.जल संसाधन मंत्रालय , चतुर्थतल श्रमशक्ति भवन रफी मार्ग नई दिल्ली।
2.सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकअप भवन, तृतीय तल बी ब्लाक विभूतिखण्ड गोमती नगर लखनऊ।
3.केन्द्रीय भूजल बोर्ड जाम नगर हाउस मानसिंह रोड, नई दिल्ली।
4.पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी0जी0ओ0 काम्प्लैक्स लोधी रोड पर्यावरण भवन नई दिल्ली 110003
5.माननीय मंत्री , केन्द्रीय ग्रामविकास मंत्रालय , ग्रामीण विकास विभाग , कृषि भवन, नई दिल्ली 110001
6.माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, शास्त्री भवन, उ0प्र0।
7.जिलाधिकारी , जनपद वाराणसी, उ0प्र0।

मा. मुलायम सिंह यादव जिन्दाबाद! समाजवादी पार्टी जिन्दाबाद! मा. अखिलेश यादव जिन्दाबाद!

क्षेत्र पंचायत आराजी लाइन्स वाराणसी

महेन्द्र सिंह पटेल
(प्रमुख)

निवास : ग्राम व पो.- वीरभानपुर,
जी.टी. रोड, राजातालाब, वाराणसी
मो.- 9415446086

पत्रांक .... दिनांक 8-4-13

सेवा में
सदस्य सचिव,
केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण
पश्चिम ब्लॉक–11 विंग–3, भूजल सेक्टर–1
आर0के0 पुरम, नई दिल्ली–110066

विषयः– कोका कोला संयन्त्र मेंहदीगंज द्वारा भूजल निकालने के लिए माँगे गये अनापति प्रमाण पत्र नही देने के संदर्भ में।

महोदय,

आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते है कि वाराणसी उ0प्र0 के मेहदीगंज पंचायत में स्थित हिन्दुस्तान कोका कोला ब्रेवरेज प्रा0 लिमिटेड संयन्त्र द्वारा रोजाना लाखो लीटर भूजल का दोहन किया जा रहा है। जिसके कारण आसपास के गॉवों में भयंकर पानी का संकट पैदा हो गया है, क्षेत्र के अधिकांश हैण्डपम्प ,कुएं, नलकूप, तालाब आदि सूख गये है, पीने का पानी व खेती का भयंकर संकट पैदा हो गया है, परिणाम स्वरूप जल संसाधन मंत्रालय द्वारा आराजी लाइन ब्लाक को क्रिटिकल ब्लाक (सूखाग्रस्त क्षेत्र) घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं प्रमुख सचिव उ0प्र0द्वारा क्षेत्र में जल संकट को देखते हुए 15.05.2012 को एक आदेश जारी करके आराजी लाइन ब्लॉक में नये सरकारी हैण्डपम्प व नलकूप लगाने पर पाबंदी लगा दिया है।

दुसरी तरफ कोका कोला कम्पनी मेहदीगंज भूजल का और दोहन करके मुनाफा कमाने में लगी हुई है। इसी कड़ी में उक्त कम्पनी में दिनांक 03.05.2012 को केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में लिये जा रहे भूजल (50,000m^3/ Year) से 5 गुना ज्यादा (250,000m^3/Year) लगभग 1000 फीट की गहराई से भूजल निकालने की अनुमति मांग रही है। ऐसी दशा में और पानी निकालने की अनुमति मिलने पर पुरे इलाके में भयंकर पानी का संकट पैदा हो जायेगा। अतः कम्पनी द्वारा भूजल निकालने के लिए मांगे गये अनापत्ति प्रमाण पत्र के संदर्भ में हम निम्न मांग करते है.

1 कोका कोला संयन्त्र मेहदीगंज द्वारा भूजल निकालने के लिए मांगे गये अनापत्ति प्रमाण पत्र को किसी भी दशा में न दिया जाय

2 क्षेत्र में भयंकर पानी के संकट को देखते हुए वर्तमान में कम्पनी द्वारा किये जा रहे भूजल शोषण पर तत्काल रोक लगायी जाय।

हस्ताक्षर

महेन्द्र सिंह पटेल

प्रमुख
क्षेत्र पंचायत
आराजी लाइन्स, वा...

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रतिलिपिः–

1.जल संसाधन मंत्रालय , चतुर्थतल श्रमशक्ति भवन रफी मार्ग नई दिल्ली।

2.सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकअप भवन, तृतीय तल बी ब्लाक विभूतिखण्ड गोमती नगर लखनऊ।

3.केन्द्रीय भूजल बोर्ड जाम नगर हाउस मानसिंह रोड, नई दिल्ली।

4.पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी0जी0ओ0 काम्प्लैक्स लोधी रोड पर्यावरण भवन नई दिल्ली 110003

5.माननीय मंत्री , केन्द्रीय ग्रामविकास मंत्रालय , ग्राभीण विकास विभाग , कृषि भवन, नई दिल्ली 110001

6.माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, शास्त्री भवन, उ0प्र0।

7.जिलाधिकारी , जनपद वाराणसी, उ0प्र0।